

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला - टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित) निर्णय दिनांक :-

मिशल संख्या:-

उनवानी दावा :

काशु लाल

बनाम तहसीलदार..... ३१

उपस्थिति :-

प्राथी

तहसीलदार देवली/दूनी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

पत्रावली वास्ते निर्णय/ आदेश प्रशासन गांव के संग 2021 कैम्प २०११/१६६ में पेश हुई। प्रार्थी द्वारा तहसीलदार ३१ को अपना नाम वाके ग्राम २०११/३३ जमाबंदी सम्वत् २०११-१५ के खाता संख्या १६६ में दर्ज काशु के स्थान पर काशु दुरुस्त करवाने हेतु पेश किया।

तहसीलदार ३१ ने पटवार हल्का २०११/१६६ व भू०अ०नि० ३१ की रिपोर्ट सहित प्रार्थी का नाम उक्त राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त इन्द्राज करने की अभिशंभा करते हुए पत्रावली उपखण्ड अधिकारी/प्रभारी अधिकारी को पेश की गई। पत्रावली कैम्प में दर्ज रजिस्टर की गई।

प्रार्थी उपस्थित हुआ। मजमेआम में प्रार्थी के वास्तविक नाम के सम्बंध में जानकारी ली गई। तहसीलदार ३१ से प्राप्त पत्रावली मय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया, जिसमें प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार ३१ को वाके ग्राम काशु जमाबंदी सम्वत् २०११-१५ के खाता संख्या १६६ में दर्ज काशु के स्थान पर काशु दुरुस्त राजस्व अभिलेख करने हेतु अनुमत किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखिल दफतर हो। निर्णय खुल न्यायालय कैम्प २०११/१६६ में सुनाया गया।

०१.१२.२०  
उपखण्ड अधिकारी  
देवली